भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 914

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 27 फरवरी, 2015/8 फाल्गुन, 1936 (शक) को दिया गया)

<u>नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल</u>

914. डा. सुभाष रामराव भामरे :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने कार्य करना शुरू कर दिया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसके कब तक कार्य शुरू कर दिए जाने की संभावना है;
(ग) क्या सरकार का देश के विभिन्न राज्यों में एनसीएलटी के पीठों को स्थापित करने का प्रस्ताव है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरुण जेटली)**

(क) से (घ) : राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) के गठन की प्रक्रिया को इस निकाय के गठन एवं संरचना संबंधी कंपनी अधिनियम, 2013 के कुछ प्रावधानों को सर्वोच्च न्यायालय में कानूनी चुनौती के कारण आस्थगित रखा गया है। विभिन्न राज्यों में एनसीएलटी की खंड पीठों के गठन का मामला सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमे के निर्णय पर निर्भर है।

*****